पेटेन्ट

कोई आवेदक अथवा संयुक्त आवेदक होने की स्थिति में प्रथम उल्लिखित आवेदक उस उपयुक्त पेटेन्ट कार्यालय में पेटेन्ट हेतु आवेदन दाखिल कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के तहत वह सामान्यतः रहता है अथवा उसका आवास है अथवा व्यवसाय का स्थान है अथवा वह स्थान है जहाँ से आविष्कार मूलतः उद्गमित हुआ है। वैसे आवेदक जो अप्रवासी हैं अथवा जिनका भारत में कोई आवास या व्यवसाय का स्थान नहीं है, उनके लिए पेटेन्ट हेतु आवेदन किए जाने वाले उपयुक्त पेटेन्ट कार्यालय का निर्धारण भारत में उनके सेवार्थ पते अथवा उनके पेटेन्ट एजेन्ट के व्यवसाय के स्थान से होगा।

आवेदक के लिए उपयुक्त कार्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

कार्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
पेटेन्ट कार्यालय शाखा, मुम्बई	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा व छत्तीसगढ़ और केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव व दादर व नागर हवेली
पेटेन्ट कार्यालय शाखा, चेन्नई	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व केन्द्रशासित प्रदेश पाण्डीचेरी व लक्षद्वीप
पेटेन्ट कार्यालय शाखा, नई दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली व केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़
पेटेन्ट कार्यालय, कोलकाता	भारत का शेष भाग

अभिकल्प

किसी अभिकल्प के पंजीकरण हेतु पेटेन्ट कार्यालय, कोलकाता तथा नई दिल्ली, मुम्बई एवं चेन्नई में स्थित इसके शाखा कार्यालयों में आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं।